भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1716

उत्तर देने की तारीख : 01.08.2022

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को फिर से शुरू करना

1716. श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कोरोना महामारी के बाद फिर से प्रारंभ किए गए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का प्रतिशत कितना है;

(ख) कितने उद्योग कोरोना महामारी के बाद प्रारंभ नहीं हो पाए हैं; और

(ग) कोरोना महामारी के बाद प्रारंभ किए गए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) और (ख) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का प्रतिशत जो कोविड-19 महामारी की शुरुआत यानी 2020 के बाद स्थापित की गई थी, उद्यम पोर्टल पर एमएसएमई द्वारा स्वेच्छा से किए गए पंजीकरण के अनुसार 42% है। उद्यम पोर्टल पर उन उद्यमों की संख्या की जानकारी नहीं है जो पुनः आरंभ नहीं हो पाए हैं।

(ग) : सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को आत्मानिर्भर भारत अभियान के तहत सुविधाएं प्रदान की हैं, जिनमें वे भी शामिल हैं जो कोविड-19 महामारी के बाद शुरू हुई थीं। उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

i) एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए गारंटीकृत आकस्मिक क्रेडिट लाइन (जीईसीएल)/आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) के तहत कोलेट्रल मुक्त स्वचालित ऋण (डीएफएस द्वारा कार्यान्वित);
ii) अधीनस्थ ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएसडी)
iii) आत्म निर्भर भारत फंड (एसआरआई फंड) के माध्यम से इक्विटी समावेशन।
iv) एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नया संशोधित मानदंड।
v) 200 करोड़ रुपए की खरीद के लिए वैश्विक निविदा नहीं होगी, यह एमएसएमई को सहायता करेगा।
vi) पूर्ववर्ती उद्योग आधार ज्ञापन को नए उद्यम पंजीकरण पोर्टल के साथ प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

*****